

## न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई०ए०एस०

फौजदारी विविध प्रकरण संख्या 03/2023, GCMS NO 2023/213

सायल

बनाम

गैरसायल

जिला पुलिस अधीक्षक,  
बाड़मेर (वर्तमान बालोतरा)

श्री प्रकाश पुत्र शंकरलाल जाति  
नट आचार्य, निवासी आदर्श  
कॉलोनी समदड़ी स्टेशन, पुलिस  
थाना समदड़ी, जिला बालोतरा।

### परिवाद अन्तर्गत धारा 2/3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975

उपस्थित:- 1. श्री अभियोजन अधिकारी सायल की ओर से।  
2. श्री मदनलाल जोगसन, अधिवक्ता गैर सायल की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 23.12.2025

1. सायल की ओर से गैर सायल श्री प्रकाश पुत्र शंकरलाल जाति नट आचार्य, निवासी आदर्श कॉलोनी समदड़ी स्टेशन, पुलिस थाना समदड़ी, जिला बालोतरा के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2/3 के अन्तर्गत परिवाद दिनांक 19.09.2022 को न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर व दिनांक 11.12.2023 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
2. इस्तगासा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि गैर सायल बदमाश व जुआरी प्रवृत्ति का व्यक्ति है इसकी आपराधिक गतिविधियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है जिस पर अंकुश लगाना निहायत ही जरूरी है। यह शक्स ताश के पत्तों पर रूपये दांव पर लगाकर जुए खेलता है जिसमें एक को लाभ व अन्य को हानि होने से आपस में प्रायः मारपीट व झगड़े होते रहते हैं जिससे सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त होता है। ऐसे बदमाश व समाज कंटक का समाज में रहने से और भी नये लड़के इसकी संगत में आकर अपराध कर सकते हैं। ऐसे गुण्डा तत्व को जिले से बेदखल करना निहायत ही आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति इस बदमाश का विरोध करता है, तो यह बदमाश अपने सहयोगियों की सहायता से उसको धमकाता है तथा इस बदमाश से आमजन इतना भयभीत है कि इसके खिलाफ गवाही देने से कतराता है, अथवा रिपोर्ट करने के लिए कोई भी सामने नहीं आता है। उक्त शक्स गैर सायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2 के खण्ड ख के (v) में



  
जिला कलक्टर  
बालोतरा

परिभाषित श्रेणी में आता है। इसके विरुद्ध निम्न मुकदमे दर्ज होकर निस्तारित हुए हैं-

क्र. सं.	मु. न. व दिनांक	धारा	पुलिस थाना	चालान नं. व दिनांक	न्यायालय निर्णय
1	05/09.01.2018	13 RPO Act	समदडी	16/2018 जेएम कोर्ट सिवाना	दिनांक 30.01.2018 को 100 रुपये जुर्माना
2	97/13.06.2019	13 RPO Act	समदडी	490/2019 जेएम कोर्ट सिवाना	दिनांक 06.07.2019 को 100 रुपये जुर्माना

उक्त अपराधिक प्रकरणों के आधार पर गैर सायल को बालोतरा जिले से बाहर निष्कासन किये जाने का निवेदन किया।

- सायल की ओर से प्रस्तुत इस्तगासा दर्ज रजिस्टर होकर गैर सायल को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये गैर सायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(1) के तहत नोटिस जारी किया।
- गैर सायल के अधिवक्ता द्वारा नोटिस का जवाब पेश कर जाहिर किया कि गैर सायल किसी भी गिरोह का सदस्य नहीं है तथा न ही किसी गिरोह के मुखिया के रूप में अपराध करने का अभ्यस्त है। गैर सायल ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिससे आम जन गैर सायल के अपराध की वजह से डरी व सहमी हुई है। सायल की ओर से गैर सायल के विरुद्ध एकदम झूठा व नाहक परेशान करने की नीयत से यह परिवाद प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी के विरुद्ध गलत दर्ज करवाया है। राजस्थान गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के तहत अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ छ महीने के अंदर तीन मुकदमें दर्ज होते हैं या तीन मामलों सजा या जुर्माना होता है, तो उस पर गुंडा एक्ट के तहत कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थी के विरुद्ध पिछले छ माह में कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। इस प्रकार गैर सायल की कोई भी गतिविधि राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2(ख) की उप धारा 7 व 8 के अन्तर्गत नहीं आती है। अतः गैर सायल के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही निरस्त फरमाई जाए।
- विद्वान अभियोजन अधिकारी बालोतरा का यह तर्क है कि गैर सायल आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होना पाया गया है, इसके विरुद्ध 13 RPO Act के 2 अपराध दर्ज हुए हैं जिसमें न्यायालय द्वारा जुर्माना से दण्डित किया गया है। साथ ही कथन किया कि सायल से गैर सायल की वर्तमान गतिविधियों एवं चाल-चलन की रिपोर्ट ली गई जिसमें गैर सायल के विरुद्ध उपर्युक्त उल्लेखित प्रकरणों के अलावा कोई प्रकरण दर्ज रजिस्टर होना नहीं बताया एवं आपराधिक गतिविधि शांत पाई गई है। अभियोजन अधिकारी के तर्कों का खण्डन करते हुए विद्वान अधिवक्ता गैर सायल का तर्क है कि पुलिस इस्तगासा में गैर सायल के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों में



  
जिला कलक्टर  
बालोतरा

लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकारोक्ति पर मामूली जुर्माना आरोपित किया गया है। राजस्थान गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के तहत अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ छ महीने के अंदर तीन मुकदमें दर्ज होते हैं या तीन मामलों सजा या जुर्माना होता है, तो उस पर गुंडा एक्ट के तहत कार्यवाही की जाती है। इसके अलावा वर्ष 2019 के बाद कोई प्रकरण भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य अधिनियम के तहत बालोतरा या इसके बाहर किसी भी थाना में दर्ज नहीं हुआ है और न ही गैर सायल को दोषी ठहराया गया है। सायल की ओर से गैर सायल के विरुद्ध एकदम झूठा व नाहक परेशान करने की नीयत से यह परिवाद प्रस्तुत किया गया है। इसलिये गैर सायल के विरुद्ध कार्यवाही निरस्त की जाए।

6. हमने उभय पक्ष की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि गैर सायल के विरुद्ध धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 का आरोप है। राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2 के खण्ड (v) के अनुसार राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग अध्यादेश, 1949 (1949 का राजस्थान अध्यादेश संख्या 48) के अधीन कम से कम दो बार सिद्ध दोष ठहराया जाने पर एंव इस धारा में दिये गये स्पष्टीकरण अनुसार अपराध या कार्य करने का दोषी पाया गया हो तो ही उक्त अधिनियम के तहत उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रावधान है। सायल द्वारा प्रस्तुत परिवाद अनुसार गैर सायल के विरुद्ध 2 आपराधिक प्रकरण दर्ज होकर प्रकरणों में सम्बन्धित न्यायालय द्वारा जुर्माना अधिरोपित करते हुए निर्णय किये गये हैं, इसके बाबत अधिवक्ता गैरसायल का कथन है कि उक्त प्रकरण लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकारोक्ति द्वारा निस्तारित हुए हैं। सायल की ओर से गैर सायल के विरुद्ध वर्ष 2019 के बाद कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज होने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही गैरसायल के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी अधिनियम के तहत अपराध का प्रकरण दर्ज होना रिकॉर्ड पर नहीं आया है। साथ ही सायल पुलिस अधीक्षक बालोतरा द्वारा अपने पत्र क्रमांक 3437 दिनांक 02.12.2025 द्वारा गैर सायल की वर्तमान गतिविधियों एवं अन्य प्रकरणों बाबत प्रस्तुत रिपोर्ट में गैर सायल की आपराधिक गतिविधियाँ शांत होना तथा 6 माह के भीतर कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज होना नहीं पाया गया, होना बताया है। ऐसी स्थिति में अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर गैर सायल के विरुद्ध आरोपित, आरोप अधिनियम धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (V) एवं स्पष्टीकरण में वर्णित अनुसार

स्थितियाँ विद्यमान होना प्रमाणित नहीं पाया जाता है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष गैर सायल को जिले से बाहर निष्कासित किये जाने का कोई



  
जिला कलक्टर  
बालोतरा

सबूत प्रमाणित नहीं हुआ है। अतः गैरसायल के विरुद्ध जारी नोटिस धारा 3(1)

खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



जिला कलक्टर  
(सुशील कुमार)  
बालोतरा  
जिला कलक्टर, बालोतरा

